

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव / मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष
वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर,
(जनपद—गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, कासगंज तथा शामली को छोड़कर) उ०प्र०।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग—१ लखनऊ

दिनांक १९ जानूर्ष २०१३,

विषय:—आईडब्लू०एम०पी० परियोजनाओं के प्रोजेक्ट फण्ड की धनराशि का स्थानान्तरण इलैक्ट्रानिक्स फण्ड ट्रान्सफर (आरटीजीएस / एनईएफटी) विधि से किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश सं० ०४/५४-१-१२/१४(१६) २०१३ दिनांक ०२.०१.२०१३ का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत आईडब्लू०एम०पी० परियोजनाओं के फण्ड की धनराशि का स्थानान्तरण इलैक्ट्रानिक्स फण्ड ट्रान्सफर (आरटीजीएस / एनईएफटी) विधि से किये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त शासनादेश में ही इलैक्ट्रानिक्स फण्ड ट्रान्सफर (आरटीजीएस / एनईएफटी) के लिए डब्लूसीडीसी पर परियोजनावार खोले गये खातों के आई०एफ०सी० कोड की सूचना भी निर्धारित प्रारूप पर माँगी गयी तथा इस संबंध में अनुस्मारक शासनादेश सं० ३०/५४-१-२०१३/१४(१६)/२०१३ दिनांक १८.०१.२०१३ भी प्रेषित किया गया था।

जनपदों में डब्लूसीडीसी पर खोले गये खातों के संबंध में जो सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं उसमें निम्न कमियों सामने आयी हैं जिस कारण इलैक्ट्रानिक्स फण्ड ट्रान्सफर (आरटीजीएस / एनईएफटी) किये जाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

- भारत सरकार के निर्देशानुसार डब्लूसीडीसी एवं पीआईए स्तर पर अलग—अलग खाते खोले जाने हैं कतिपय जनपदों यथा बस्ती, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, लखनऊ एवं हाथरस में अभी तक डब्लूसीडीसी स्तर पर परियोजनावार खाते नहीं खोले गये हैं। इन जनपदों में डब्लूसीडीसी स्तर पर एक ही खाता खोला गया है जिसमें जनपद में संचालित समस्त परियोजनाओं की धनराशि रखी गयी है, जो वित्तीय अनियमितता है। अतः तत्काल समस्त जनपदों में डब्लूसीडीसी / पीआईए स्तर परियोजनावार खाते खुलवाना सुनिश्चित किया जाय जिससे प्रोजेक्ट फण्ड का स्थानान्तरण इलैक्ट्रानिक्स फण्ड ट्रान्सफर (आरटीजीएस / एनईएफटी) के माध्यम से किया जाय।
- डब्लूसीडीसी पर जो खाते खोले गये हैं वो भिन्न—भिन्न नामों से खोले गये हैं जैसे—डीआरडीए खाता, डब्लूसीडीसी खाता तथा प्रोजेक्ट फण्ड खाता आदि। डब्लूसीडीसी पर खोले जाने वाले समस्त खातों में एकरूपता लाने के लिए डब्लूसीडीसी पर खुलने वाले खातों को आईडब्लू०एम०पी० परियोजना प्रथम—द्वितीय आदि नाम से खोला जाय।

उदाहरण स्वरूप—

क्रम सं०	डब्लूसीडीसी का नाम	परियोजना	खाते का नाम
1	डब्लूसीडीसी, लखनऊ	प्रथम	आईडब्लूएमपी—प्रथम
2	डब्लूसीडीसी, लखनऊ	द्वितीय	आईडब्लूएमपी—द्वितीय
3	डब्लूसीडीसी, लखनऊ	तृतीय	आईडब्लूएमपी—तृतीय

उपरोक्त के अतिरिक्त डब्लूसीडीसी, पर संस्थागत खाते का नाम, आईडब्लूएमपी—संस्थागत खाता के नाम से खोला जाय।

तत्काल निर्देशानुसार उक्त खोले गये खातों के नाम परिवर्तित कराते हुए कृत कार्यवाही से एस०एल०डी०सी०/एस०एल०एन०ए० को भी अवगत करायें।

उरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(आनन्द कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव / मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या 54/-1-2013/14(16)/2013 तददिनांकित

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- स्टाफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- निदेशक, कृषि, उ०प्र० लखनऊ।
- उप महाप्रबन्धक, मण्डलीय कार्यालय इलाहाबाद बैंक, नई बिल्डिंग, हजरतगंज, लखनऊ को उनके पत्र संख्या मकाल /यो०वि०/7627 दिनांक 28.12.2012 के अनुक्रम में सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।
- समस्त उप निदेशक /भूमि संरक्षण अधिकारी, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग।
- प्रशासनिक अधिकारी, एसएलडीसी, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट [htt://upldwr.up.nic.in](http://upldwr.up.nic.in) पर अपलोड करना सुनिश्चित करें एवं समस्त संबंधित जिलाधिकारियों/अध्यक्ष, डब्लूसीडीसी को ई—मेल भी प्रेषित करें।

(आनन्द कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव / मुख्य कार्यकारी अधिकारी